रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042021-226474
CG-DL-E-09042021-226474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943**
No. 205]	**NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 256(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का 3) द्वारा यथा-संशोधित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 54ग की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (चघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिवाला तथा शोधन अक्षमता (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुप्रयोग-** ये नियम पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित मामलों को लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) से अभिप्रेत है;

(ख) "पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया" से संहिता के भाग-2 के अध्याय 3-क के अधीन निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ग) "प्रपत्र" से इन संलग्न प्रपत्र नियमों से है; और

(घ) "पहचान संख्या" से निगमित यथास्थिति, व्यकृति की सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या अथवा निगमित पहचान संख्या अभिप्रेत है।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और पदों, जो इस संहिता में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमश: संहिता में है।

4. आवेदन का फाइल किया जाना- (1) कोई निगमित आवेदक प्ररूप-1 में संहिता की धारा 54ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आवेदन कर सकेगा जिसके साथ उसमें इलैक्ट्रानिक प्ररूप में पंद्रह हजार रुपये की फीस सहित यथानिर्दिष्ट शपथपत्र, दस्तावेज या अभिलेख संलग्न हों।

परंतु यह तब जब कि उस दशा में, जब ऐसा आवेदन फाइल करने के लिए इलैक्ट्रानिक सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आवेदन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज वास्तविक रूप में फाइल किए जा सकेंगे और जहां कहीं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज विस्तीर्ण हैं तो उन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को स्वीकार्य कम्पैक्ट डिस्क या यूएसबी फ्लैश ड्राइव जैसी डाटा स्टोरेज डिवाइस में स्कैन किए हुए पोर्टेबल दस्तावेज फारमेट में प्रस्तुत किया जाए।

(2) निगमित आवेदक उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्रति को, इसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल करने से पहले रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या दस्ती या इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोर्ड पर तामील करेगा।

(3) आवेदन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 के नियम 20, 21, 22, 23, 24 और 26 के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया जाएगा।

(4) निगमित आवेदक ऐसी फाइल किए जाने के बारे में जानकारी होने के पश्चात् निगमित ऋणी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई किसी परिसमापन याचिका फाइल करने के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचित करेगा।

"प्रपत्र 1

[नियम 4 का उपनियम (1) देखें]

इस संहिता के अध्याय 3-क के अधीन पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए निगमित आवेदक द्वारा आवेदन

[दिवाला और शोधन अक्षमता (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) नियम, 2021 के नियम 4 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 54ग के अधीन]

[तारीख]

सेवा में

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

[पता]

प्रेषिती,

[निगमित आवेदक के पत्र व्यवहार हेतु नाम एवं पता]

के मामले में [निगमित ऋणी का नाम]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन [निगमित ऋणी का नाम] के संबंध में पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आवेदन

महोदया/महोदय,

हम, [निगमित ऋणी का नाम] के संबध में पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत करते हैं। इस आवेदन के प्रयोजनार्थ ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

भाग-1

निगमित आवेदक और निगमित ऋणी का ब्यौरा		
1.	निगमित आवेदक के पत्र व्यवहार हेतु नाम, पता, ई-मेल पता, पहचान संख्या तथा पता	
2.	निगमित ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम, पता, ई-मेल पता, पहचान संख्या तथा पता	
3.	निगमित ऋणी के नामित भागीदारों, सभी निदेशकों, प्रोमोटरों का नाम तथा पता (यथा-लागू)	
4.	निगमित ऋणी के निगमन की तारीख	
5.	निगमित ऋणी की सांकेतिक शेयरपूंजी और प्रदत्त शेयरपूंजी तथा/या संगम ज्ञापन के अनुसार गारंटी खंड के ब्यौरे (यथा लागू)	
6.	निगमित आवेदक की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम, पता तथा प्राधिकार	

	(प्राधिकार संलग्न करें)	
7.	निगमित आवेदक की ओर से आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए भारत में प्राधिकृत निवासी व्यक्ति का नाम और पता (प्राधिकार संलग्न करें)	
8.	संहिता के खंड 54क(1) के प्रयोजनार्थ निगमित ऋणी के ब्यौरे – (i) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2119(अ), तारीख 26.08.2020 के अनुसार, उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या (उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें) या (ii) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 2119(अ) तारीख 26.06.2020 के अनुसार संगणित आवर्त (इसके सबूत संलग्न करें)	
9.	यह दर्शाने के लिए दस्तावेज कि निगमित आवेदक पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए प्राधिकृत है	

भाग-2

प्रस्तावित समाधान वृत्तिक का ब्यौरा

प्रस्तावित समाधान वृत्तिक का ब्यौरा		
1.	प्रस्तावित समाधान वृत्तिक का नाम, पता, ई-मेल पता तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	लेनदारों के नाम, जिन्होंने धारा 54क(2)(ड.) के अधीन समाधान वृत्तिक के रूप में दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया है तथा उस खंड के अधीन ऐसे प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए अपेक्षित लेनदारों को देय ऋण के प्रतिशत में उनके ऋण का मान	

भाग-3

वित्तीय/परिचालन ऋण का ब्यौरा (लेनदार वार, यथा-लागू)		
1.	वित्तीय/परिचालन लेनदार(लेनदारों) का/के नाम	
2.	वित्तीय/परिचालन लेनदार(लेनदारों) के पत्र व्यवहार का पता	
3.	कुल वसूली गई ऋण की रकम तथा व्यतिक्रम की रकम	
4.	वह तारीख जब वित्तीय/परिचालन ऋण लिया गया था	
5.	धारित प्रतिभूति, यदि कोई हो, का ब्यौरा, इसके सृजन की तारीख, लेनदार के अनुसार इसका अनुमानित मूल्य। कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए प्रभार के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें (यदि निगमित ऋणी एक कंपनी है)	
6.	उन वस्तुओं के संबंध में स्वामित्व व्यवस्था, यदि कोई हो, को धारित करने का ब्यौरा, जिसे परिचालन ऋण संदर्भित करता है।	
7.	व्यतिक्रम का रिकॉर्ड, यदि कोई हो, सूचना उपयोग सहित, व्यतिक्रम की रकम	
8.	वित्तीय/परिचालन ऋण तथा व्यतिक्रम की रकम, की विद्यमानता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से इस आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची	

भाग-4

वित्तीय लेनदारों की विशिष्टियां, जो निगमित ऋणी के संबंधित पक्षकार न हों		
1.	वित्तीय लेनदारों का नाम, जो निगमित ऋणी के संबंधित पक्षकार न हों	
2.	वित्तीय लेनदारों को देय कुल ऋण, कारपोरेट देनदार का संबंधित पक्ष नहीं होने के नाते	
3.	लेनदारों के नाम, जिन्होंने धारा 54क(3) के अधीन पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रकिया को प्रांरभ करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना अनुमोदित किया है तथा उस खंड के अधीन लेनदारों को देय ऋण के प्रतिशत में उनके ऋण का मान	

[निगमित आवेदक का नाम] ने (तारीख) को (संदाय के माध्यम का वचन करें) के माध्यम से इस आवेदन हेतु अपेक्षित फीस का संदाय कर दिया है तथा बोर्ड को इस आवेदन की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/दस्ती/इलेक्ट्रानिक माध्यम के द्वारा प्रदान कर दी गई है।

भवदीय,

निगमित आवेदक की ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम स्पष्ट अक्षरों में
निगमित आवेदक के साथ या के संबंध में स्थिति
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

शपथ-पत्र

मैं, [वादी का पूरा नाम, पता तथा व्यवसाय] सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं तथा कथन करता हूं कि:--

1. [निगमित ऋणी का नाम] दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के खंड 54क तथा इससे संबद्ध नियमों और विनियमों के अनुसार एक पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र है।

2. [प्रस्तावित समाधान वृत्तिक का नाम], पूर्ण रूप से योग्य है और संहिता तथा उससे संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार, निगमित ऋणी की पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञान किया है।

3. संहिता की धारा 54क(2)(च)(झ) में यथा-निर्दिष्ट [निगमित ऋणी का नाम] के अधिकांश भागीदारों और निदेशकों की घोषणा में आवेदन फाइल करने के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर यह आवेदन फाइल किया जा रहा है।

4. पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के इस आवेदन के संबंध में, मैंने निम्न विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया है: [कृपया ऐसे दस्तावेजों की सूची दें]

5. इस आवेदन की विषयवस्तु और उक्त दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और वास्तविक हैं और उससे कोई भी तात्विक तथ्य छुपाए नहीं गए हैं।

______________ में वर्ष ___________ के __________ वें दिन निष्ठापूर्वक पुष्टि करता हूँ।

मेरे समक्ष,

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस आवेदन के पैरा_____से_______की विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और न कोई तथ्य छुपाया गया है।

_________में वर्ष ________के __________वें दिन को सत्यापित

____

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुदेश

कृपया इस आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करें:

उपाबंध 1 वित्तीय ऋण के मामले में, सूचना उपयोगिता के माध्यम से प्राप्त व्यतिक्रम का रिकार्ड या इस आवेदन के भाग-3 के क्रम संख्या 8 में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज।

उपाबंध 2 परिचालन ऋण के मामले में, (i) निगमित ऋणी परिचालन लेनदार द्वारा तामील की गई बीजक/माँग नोटिस की प्रति और (ii) सूचना उपयोगिता के माध्यम से प्राप्त व्यतिक्रम का अभिलेख या इस आवेदन के भाग-3 की क्रम संख्या 8 में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज।

उपाबंध 3 प्रस्तावित समाधान वृत्तिक की नियुक्ति के लिए धारा 54(क)(2)(ड़) के अधीन लेनदारों का अनुमोदन, जैसा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के प्ररूप में दिया गया है।

उपाबंध 4 प्रस्तावित समाधान वृत्तिक द्वारा लिखित सहमति जैसा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के प्ररूप में दिया गया है।

उपाबंध 5 संहिता की धारा 54क(2)(च) में यथा निर्दिष्ट, यथा-स्थिति, अधिकांश निदेशकों या भागीदारों की घोषणा जैसा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के प्ररूप में दिया गया है।

उपाबंध 6 संहिता की धारा 54क(2)(छ) में निर्दिष्ट निगमित ऋणी के यथा-स्थिति सदस्यों या भागीदारों के विशेष समाधान या समाधान धारा की प्रति।

उपाबंध 7 पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया को आरम्भ करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए संहिता की धारा 54(क)(3) के अधीन लेनदारों का अनुमोदन, जैसा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के प्ररूप में दिया गया है।

उपाबंध 8 संहिता की धारा 54ख(1)(क) में यथा-निर्दिष्ट; दिवाला वृत्तिक की समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले प्रस्ताव की रिपोर्ट, जैसा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) नियम, 2021 के प्ररूप में दिया गया है।

उपाबंध 9 संहिता की धारा 54ग(3)(ग) में यथा-निर्दिष्ट निगमित ऋणी के किसी भी संव्यवहार की विद्यमानता संबंधी घोषणा जैसा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 के प्ररूप में दिया गया है।

उपाबंध 10 यह कथन करने वाला शपथ-पत्र कि निगमित ऋणी संहिता की धारा 29क के अधीन निगमित ऋणी की पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया में समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र है।

उपाबंध 11 लेनदारों के व्यतिक्रम को साबित करते हुए निगमित ऋणी के सुसंगत बहीखातों की प्रति।

उपाबंध 12 पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए निगमित ऋण के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और चालू वित्तीय वर्ष के अनंतिम वित्तीय विवरणों की प्रतियाँ को अद्यतन किया जाना जो आवेदन की तारीख से 14 दिन से पहले की न हो।

उपाबंध 13 कार्यों के विवरण को अद्यतन किया जाना जो आवेदन की तारीख से 14 दिन पहले का न हो, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज भी शामिल हैं, अर्थात्-

(क) निगमित ऋणी की आस्तियों और दायित्वों की सूची, जो ऐसी प्रवर्गों में विभाजित हो जो सहज पहचानने के लिए समुचित है और प्रत्येक प्रवर्ग को सौंपे गए मूल्य का आकलन किया जा सके।

(ख) ऐसी किसी सम्पत्ति के मामले, जिस पर निगमित ऋणी के प्रति पूर्णतः या भागतः दावा प्रतिभूत है, दावे की विशिष्टियां और उसकी रकम, और कैसे और कब प्रतिभूति सृजित की गई;

(ग) निगमित ऋणी के वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के नाम और पते, उनमें से प्रत्येक को देय रकम के साथ;

(घ) निगमित ऋणों द्वारा अथवा उसको देय अथवा इससे संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अथवा उसको देय किसी ऋण की विशिष्टियां;

(ङ) क्या कोई, और यदि ऐसा हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा निगमित ऋणी के ऋण के संबंध में क्या गारंटी दी गई है, यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि कौन गारंटीदाता, यदि कोई हो, निगमित ऋणी तथा निगमित आवेदक से संबद्ध एक पक्षकार है; तथा

(च) निगमित ऋणी के यथास्थिति, सदस्यों या भागीदारों के नाम तथा पता, जिसमें उनकी शेयर धृतियों के ब्यौरे भी हों।

उपाबंध 14 निम्नलिखित की एक प्रति :

(क) किसी संवैधानिक दस्तावेज या शेयरधारकों के करार का सुसंगत उद्धरण जिसमें इस आवेदन को करने के लिए निगमित आवेदक के प्राधिकार अभिलिखित हो, जहां निगमित आवेदक निगमित ऋणी का सदस्य या भागीदार हो; अथवा

(ख) इस आवेदन को करने के लिए निगमित आवेदक के प्राधिकार की पुष्टि करते हुए कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए किसी रोजगार करार, संवैधानिक दस्तावेज या फाइल किए गए कागजात का संगत उद्धरण, जहां निगमित आवेदक, निगमित देनदार के प्रचालनों तथा स्रोतों के प्रबंधन का प्रभारी व्यक्ति हो तथा जिसका निगमित ऋणी के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण हो।

उपाबंध 15 विनिर्दिष्ट आवेदन फीस का संदाय कर दिया गया है, का सबूत।

उपाबंध 16 आवेदन की एक प्रति बोर्ड को प्रस्तुत कर दी गई है, का सबूत।

[फा.सं. 30/20/2020-इंसोल्वेंसी अनुभाग]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2021

G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (fd) of sub-section (2) of section 239 read with sub-section (2) of section 54C of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), as amended by the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2021 (3 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy (pre-packaged insolvency resolution process) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the matters relating to the pre-packaged insolvency resolution process.

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(b) "pre-packaged insolvency resolution process" means the insolvency resolution process for corporate persons under Chapter III-A of Part II of the Code;

(c) "Form" means a Form appended to these rules; and

(d) "identification number" means the limited liability partnership identification number or the corporate identity number, as the case may be, of the corporate person.

(2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined herein, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Code.

4. Filing of application. - (1) A corporate applicant, shall make an application for initiating pre-packaged insolvency resolution process under sub-section (1) of section 54C of the Code in Form 1, accompanied with affidavit, documents or records as referred in Annexures therein, in electronic form, along with a fee of rupees fifteen thousand:

Provided that in case, electronic facility is not available for filing such application, the application and the accompanying documents may be filed in physical form, and wherever the accompanying documents are bulky, the same may be submitted in scanned portable document format in a data storage device such as a compact disc or a USB flash drive acceptable to the Adjudicating Authority.

(2) The corporate applicant under sub-rule (1) shall serve a copy of the application to the Board by registered post or speed post or by hand or by electronic means, before filing it with the Adjudicating Authority.

(3) The application shall be filed before the Adjudicating Authority in accordance with rules 20, 21, 22, 23, 24 and 26 of the National Company Law Tribunal Rules, 2016.

(4) A corporate applicant shall inform the Adjudicating Authority about the filing of any winding up petition against the corporate debtor after becoming aware about such filing.

Form-1

[See sub-rule (1) of rule 4]

APPLICATION BY CORPORATE APPLICANT TO INITIATE PRE-PACKAGED INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS UNDER CHAPTER III-A OF THE CODE

[Under section 54C of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with rule 4 of the Insolvency and Bankruptcy (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Rules, 2021]

[Date]

To,

The National Company Law Tribunal

[Address]

From,

[Name and address for correspondence of the corporate applicant]

In the matter of [name of the corporate debtor]

Subject: Application to initiate pre-packaged insolvency resolution process in respect of [name of the corporate debtor] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Madam/Sir,

We, hereby submit this application to initiate a pre-packaged insolvency resolution process in respect of [name of corporate debtor]. The details for the purpose of this application are set out below:

Part-I

PARTICULARS OF THE CORPORATE APPLICANT AND CORPORATE DEBTOR		
1.	NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS, IDENTIFICATION NUMBER AND ADDRESS FOR COMMUNICATION OF THE CORPORATE APPLICANT	
2.	NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS, IDENTIFICATION NUMBER AND ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE OF CORPORATE DEBTOR	
3.	NAMES AND ADDRESSES OF ALL DIRECTORS, PROMOTERS, DESIGNATED PARTNERS OF THE CORPORATE DEBTOR (AS APPLICABLE)	
4.	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE DEBTOR	
5.	NOMINAL SHARE CAPITAL AND THE PAID-UP SHARE CAPITAL OF THE CORPORATE DEBTOR AND/OR DETAILS OF GUARANTEE CLAUSE AS PER MEMORANDUM OF ASSOCIATION (AS APPLICABLE)	
6.	NAME, ADDRESS AND AUTHORITY OF PERSON SUBMITTING APPLICATION ON BEHALF OF CORPORATE APPLICANT (ENCLOSE AUTHORISATION)	

7.	NAME AND ADDRESS OF PERSON RESIDENT IN INDIA AUTHORISED TO ACCEPT THE SERVICE OF PROCESS ON BEHALF OF CORPORATE APPLICANT (ENCLOSE AUTHORISATION)	
8.	DETAILS OF CORPORATE DEBTOR FOR THE PURPOSES OF SECTION 54A(1) OF THE CODE — (i) UDYAM REGISTRATION NUMBER, AS PER NOTIFICATION NO. 2119(E) DATED 26.06.2020 OF MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (ATTACH A COPY OF THE LATEST AND UPDATED UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE) OR (ii) INVESTMENT IN PLANT AND MACHINERY OR EQUIPMENT AND TURNOVER CALCULATED AS PER NOTIFICATION NO. 2119(E) DATED 26.06.2020 OF MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (ATTACH PROOF THEREOF)	
9.	DOCUMENTATION TO SHOW THAT THE CORPORATE APPLICANT IS AUTHORISED TO INITIATE THE PRE-PACKAGED INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS	

Part-II

PARTICULARS OF PROPOSED RESOLUTION PROFESSIONAL		
1.	NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS AND THE REGISTRATION NUMBER OF THE PROPOSED RESOLUTION PROFESSIONAL	
2.	NAMES OF THE CREDITORS, WHO HAVE APPROVED THE PROPOSAL FOR APPOINTMENT OF THE INSOLVENCY PROFESSIONAL AS THE RESOLUTION PROFESSIONAL UNDER SECTION 54A(2)(e) OF THE CODE AND VALUE OF THEIR DEBT IN PER CENT. OF DEBT OWED TO CREDITORS REQUIRED TO APPROVE SUCH PROPOSAL UNDER THAT SECTION	

Part-III

PARTICULARS OF FINANCIAL/OPERATIONAL DEBT [CREDITOR WISE, AS APPLICABLE]		
1.	NAME(S) OF FINANCIAL/OPERATIONAL CREDITOR(S)	

2.	ADDRESS OF CORRESPONDENCE OF THE FINANCIAL/OPERATIONAL CREDITOR(S)	
3.	TOTAL DEBT RAISED AND AMOUNT IN DEFAULT	
4.	DATE WHEN THE FINANCIAL/OPERATIONAL DEBT WAS INCURRED	
5.	PARTICULARS OF SECURITY HELD, IF ANY, THE DATE OF ITS CREATION, ITS ESTIMATED VALUE AS PER THE CREDITOR. ATTACH A COPY OF A CERTIFICATE OF REGISTRATION OF CHARGE ISSUED BY THE REGISTRAR OF COMPANIES (IF THE CORPORATE DEBTOR IS A COMPANY)	
6.	DETAILS OF RETENTION OF TITLE ARRANGEMENTS (IF ANY) IN RESPECT OF GOODS TO WHICH THE OPERATIONAL DEBT REFERS	
7.	RECORD OF DEFAULT WITH THE INFORMATION UTILITY, IF ANY	
8.	LIST OF DOCUMENTS ATTACHED TO THIS APPLICATION IN ORDER TO PROVE THE EXISTENCE OF FINANCIAL/OPERATIONAL DEBT AND THE AMOUNT IN DEFAULT	

Part-IV

PARTICULARS OF FINANCIAL CREDITORS, NOT BEING RELATED PARTIES OF THE CORPORATE DEBTOR		
1.	NAMES OF THE FINANCIAL CREDITORS, NOT BEING RELATED PARTIES OF THE CORPORATE DEBTOR	
2.	TOTAL DEBT DUE TO THE FINANCIAL CREDITORS, NOT BEING RELATED PARTIES OF THE CORPORATE DEBTOR	
3.	NAMES OF THE CREDITORS, WHO HAVE APPROVED THE FILING OF APPLICATION FOR INITIATION OF PRE-PACKAGED INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS UNDER SECTION 54A(3) OF THE CODE AND VALUE OF THEIR DEBT IN PER CENT. OF DEBT OWED TO CREDITORS UNDER THAT SECTION	

[Name of the corporate applicant] has paid the requisite fee for this application through [state means of payment] on [date] and a copy of this application has been served by registered post/speed post/by hand/electronic means to the Board.

Yours sincerely

Signature of person authorised to act on behalf of the corporate applicant
Name in block letters
Position with or in relation to the corporate applicant
Address of person signing

AFFIDAVIT

I, [insert full name, address and occupation of deponent] do solemnly affirm and state as follows:--

1. [Name of the corporate debtor] is eligible for a pre-packaged insolvency resolution process in accordance with section 54A of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) and the associated rules and regulations.

2. [Name of proposed resolution professional], is fully qualified and permitted to act as a resolution professional for the pre-packaged insolvency resolution process of the corporate debtor, in accordance with the Code and the associated rules and regulations.

3. This application is being filed within the time period stipulated for the filing of this application in the declaration of the majority of directors or partners of the [name of the corporate debtor] as referred to in section 54A(2)(f)(i) of the Code.

4. In respect of this application for pre-packaged insolvency resolution process, I have relied on the documents specified below: [Please list the documents relied on].

5. The contents of this application along with the said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.

Solemnly, affirmed at ______________________________ on ____________________ day, the ______ day of __________________20___.

Before me,

Notary/Oath Commissioner

Deponent's Signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of para ___ to ___of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief. Nothing is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at ______ on this ______ day of ______ 20___

____

Deponent's signature

Instructions

Please attach the following to this application:

Annex I In case of financial debt, record of default obtained through the information utility or all documents listed in serial number 8 of part-III of this application.

Annex II In case of operational debt, (i) copy of invoice / demand notice served by an operational creditor on the corporate debtor and (ii) record of default obtained through the information utility or all documents listed in serial number 8 of part-III of this application.

Annex III Approval of creditors under section 54A(2)(e) of the Code for appointment of the proposed resolution professional, as set out in Form P3 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021.

Annex IV Written consent by the proposed resolution professional as set out in Form P1 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021.

Annex V Declaration of the majority of the directors or partners of the corporate debtor, as the case may be, as referred to in section 54A(2)(f) of the Code as set out in Form P6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021.

Annex VI Copy of the special resolution or resolution of the members or partners of the corporate debtor, as the case may be, as referred to in section 54A(2)(g) of the Code.

Annex VII Approval of creditors under section 54A(3) of the Code for filing application for initiating pre-packaged insolvency resolution process, as set out in Form P4 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021.

Annex VIII Report of the insolvency professional proposed to be appointed as the resolution professional as referred to in section 54B(1)(a) of the Code, as set out in Form P8 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021.

Annex IX Declaration regarding the existence of any transactions of the corporate debtor, as referred to in section 54C(3)(c) of the Code, as set out in Form P7 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021.

Annex X Affidavit stating that the corporate debtor is eligible under section 29A of the Code to submit resolution plan in the pre-packaged insolvency resolution process of the corporate debtor.

Annex XI Copy of the relevant books of accounts of the corporate debtor evidencing the default to creditors.

Annex XII Copies of audited financial statements of the corporate debtor for the last two financial years and the provisional financial statements for the current financial year made up to a date not earlier than fourteen days from the date of the application.

Annex XIII A statement of affairs made up to a date not earlier than fourteen days from the date of application including the following document, namely:—

(a) a list of the corporate debtor's assets and liabilities, divided into such categories as are appropriate for easy identification, with estimated values assigned to each category;

(b) in the case of any property on which a claim against the corporate debtor is wholly or partly secured, particulars of the claim and its amount, and of how and when the security was created;

(c) the names and addresses of the financial creditors and operational creditors of the corporate debtor, with the amounts due to each of them;

(d) particulars of any debts owed by or to the corporate debtor to or by persons connected with it;

(e) whether any, and if so what, guarantees have been given in relation to the debts of the corporate debtor by other persons, specifying which, if any, of the guarantors is a related party to the corporate debtor and the corporate applicant; and

(f) the names and addresses of the members or partners of the corporate debtor, as the case may be, with details of their respective shareholdings.

Annex XIV A copy of:

(a) relevant extract of any constitutional document or shareholders' agreement that records the authority of the corporate applicant to make this application, where the corporate applicant is a member or partner of the corporate debtor; or

(b) relevant extract of an employment agreement, constitutional document or fillings made to the Registrar of Companies confirming the authority of the corporate applicant to make this application, where the corporate applicant is an individual in charge of managing the operations and resources of the corporate debtor or has control and supervision over the financial affairs of the corporate debtor.

Annex XV Proof that the specified application fee has been paid.

Annex XVI Proof that a copy of the application has been served to the Board.

[F. No. 30/20/2020-Insolvency Section]

GYANESHWAR KUMAR SINGH Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.09 22:36:00 +05'30'